प्रेस प्रकाशनी

मई 2010

साईबाला क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

5 मई 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए साईबाला क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : सं.37, नल्लाथंबी रोड, पाम्मल, चेन्नै-600075 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 25 फरवरी 2010 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

जैसल सिक्यूरिटीज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

5 मई 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए जैसल सिक्यूरिटीज़ लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : सं.15 (पुरानी सं. 6), बसंत अवेन्यू, अडयार, चेन्नै-600020 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 25 फरवरी 2010 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण

प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

मेसर्स लकी वैली इनवेस्टमेंट्स एण्ड होल्डिंग्ज लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

5 मई 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स लकी वैली इनवेस्टमेंट्स एण्ड होल्डिंग्ज लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : 'सुआ हाउस' 26/1, कस्तूरबा क्रॉस रोड, बंगलूर-560001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 10 जनवरी 2010 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

5 मई 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक	पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
नानावटी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	401, पंचरत्न क्वीन्स रोड, ऑपेरा हाउस, मुंबई 400004	13.00880 दिनांक - 26 मई 1998	05 मार्च 2010
रॅमसन्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड	रहीम बिल्डिंग, तीन नल चौक, भंडारा रोड, इतवारी, नागपुर 440002	13.00688 दिनांक - 20 अप्रैल 2000	05 मार्च 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

रिज़र्व बैंक ने परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

7 मई 2010

परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि., नागपुर, (महाराष्ट्र) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा को ध्यान

में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2010 को बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमारशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि., नागपुर, (महाराष्ट्र) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती एम.यशोदाबाई, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : अतिरिक्त कार्यालय भवन, ईस्ट हाईकोर्ट रोड, पो.बा.सं. 118, नागपुर 440001. टेलीफोन नंबर : (0712) 2538696; फैक्स नंबर : (0712) 2552896.

रिज़र्व बैंक ने विदर्भ अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., अकोला, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

10 मई 2010

विदर्भ अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., अकोला, (महाराष्ट्र) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अप्रैल 2010 को सुबह 10.15 बजे बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में विदर्भ अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., अकोला, (महाराष्ट्र) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती एम.यशोदाबाई, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : अतिरिक्त कार्यालय भवन, ईस्ट हाईकोर्ट रोड, पो.बा.सं. 118, नागपुर 440001. टेलीफोन नंबर : (0712) 2538696; फैक्स नंबर : (0712) 2552896.

भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकों की 926 शाखाएं अग्रिम आयकर स्वीकार करेंगी

13 मई 2010

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की कुल मिलाकर 926 कम्प्यूटरीकृत शाखाएं मुंबई और नवी मुंबई में

अग्रिम आयकर स्वीकार करेंगी। यह व्यवस्था आयकर निर्धारितियों की सुविधा के लिए की गई है। 926 बैंक शाखाओं में से 862 शाखाएं सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, 35 शाखाएं एचडीएफसी बैंक, 10 शाखाएं आइसीआइसीआइ बैंक और 19 शाखाएं ऐक्सिस बैंक की हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयकर निर्धारितियों को सूचित किया है कि वे उनकी सुविधा के लिए बनाई गयी इन स्थायी व्यवस्थाओं का लाभ उठाएं।

यदि आयकर निर्धारिती मुंबई और नवी मुंबई में बैंकों की विभिन्न नामित शाखाओं पर उपलब्ध करायी गई इन सेवाओं का उपयोग करते हैं तो भारतीय रिज़र्व बैंक के काउंटरों पर लम्बी कतारों और असुविधा से बचा जा सकेगा तथा वे अंतिम तारीख से पहले ही अपने देय आयकर अग्रिम रूप से जमा कर सकेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि को आसान बनाने के उपायों की घोषणा की

26 मई 2010

वर्ष 2010-11 के लिए मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह दर्शाया गया था कि रिज़र्व बैंक चलनिधि का प्रबंधन सक्रिय रूप से करना चाहता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में ऋण की बढ़ती माँग को बिना कोई बाधा के पूरा किया जा सके। तदनुसार, रिज़र्व बैंक वैश्विक और घरेलू वित्तीय बाज़ारों की गतिविधियों की नज़दीकी से निगरानी रख रहा है।

2. चलनिधि परिस्थितियों का अद्यतन आकलन यह सुझाता है कि कर के अग्रिम भुगतान और 3 जी नीलमियों के कारण मुख्य रूप से सरकारी शेष राशि में बदलाव के कारण बाज़ार में अस्थायी चलनिधि दबाव हो सकता है। इस अस्थायी चलनिधि दबाव से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं : -

i. अनुसूचित वाणिज्य बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त चलनिधि सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा को प्राप्त करने से सांविधिक चलनिधि अनुपात को बनाए रखने में आयी किसी कमी को पूरा करने के लिए बैंक संपूर्ण रूप से एक तदर्थ, अस्थायी उपाय के रूप में दंडस्वरूप ब्याज से छूट के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह सुविधा 2 जुलाई 2010 तक उपलब्ध होगी।

ii. द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा (एसएलएएफ) 2 जुलाई 2010 तक दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी । द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा अपराह्न 4.00 बजे से 4.30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी।

3. उक्त उपाय तदर्थ (अस्थायी) स्वरूप के हैं और इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता और दैनिक द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा 28 मई 2010 से 2 जुलाई 2010 तक उपलब्ध होगी।

संबंधित अधिसूचना

28 मई 2010 द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा

निधि अंतरण संबंधी बोगस ऑफर का शिकार न बनें : भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह

28 मई 2010

रिज़र्व बैंक ने 26 मई 2010 को सभी बैंकों को सूचित किया है कि वे ऐसे बोगस ऑफरों के संबंध में पूर्ण सावधानी बरतें और अत्यधिक सतर्क रहें जिनके लिए पुरस्कार राशि /इनाम राशि आदि के तथाकथित

अंतरण के लिए लेनदेन प्रभारों आदि के रूप में भुगतान प्राप्त करने हेतु बैंक खाते खोले जाते हैं और/अथवा खातों में लेनदेन किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि भारत के बाहर से प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के भुगतानों के लिए किसी प्रकार के संग्रहण और लेनदेन करने / विप्रेषण करने में शामिल होता है तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का उल्लंघन करने के कारण उस पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उन पर अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों /धन-शोधन निवारण (एएमएल) मानकों से संबंधित विनियमों का उल्लंघन करने के कारण भी कार्रवाई की जा सकती है।

रिज़र्व बैंक ने यह भी दोहराया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत लॉटरी योजनाओं में सहभागी होने के लिए किसी भी प्रकार के विप्रेषण पर प्रतिबंध है । उक्त प्रतिबंध धनराशि वितरण योजना या पुरस्कार राशि /इनाम आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से किये गये विप्रेषणों आदि जैसे विभिन्न नामों से प्रचलित लॉटरी जैसी योजनाओं में सहभागिता करने के लिए किए गए विप्रेषणों पर भी लागू हैं।

बैंकों को जारी अपने परिपत्र में रिज़र्व बैंक ने कहा है कि हाल ही में धोखेबाजों से सस्ती निधियों के संबंध में बोगस ऑफरों की वारदातें काफी बढ़ गई है। उक्त ऑफर पत्रों, ई-मेल, मोबाइल फोन, एसएमएस आदि द्वारा भेजे जा रहे हैं। धोखेबाजों की कार्यपद्धति का विवरण देते हुए रिज़र्व बैंक ने कहा है कि इस संबंध में सूचना रिज़र्व बैंक के फर्जी पत्र-शीर्षों (लेटर हेड) पर भेजी जा रही है और फंसाए जानेवाले लोगों को जानबूझकर बैंक के उच्च अधिकारियों/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ दिखाया जा रहा है। काफी लोग इस प्रकार के लुभावने पेशकशों (ऑफरों) के शिकार बन चुके हैं और इस प्रक्रिया में उन्होंने काफी बड़ी धनराशि गंवायी हैं। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह भी लाया गया है कि धोखेबाज विभिन्न शीर्षों के तहत, जैसे प्रक्रिया शुल्क/लेनदेन शुल्क/कर निपटान प्रभार/अंतरण प्रभारों, क्लियरिंग शुल्कों आदि के रूप में भोले-भाले लोगों से पैसे की मांग करते हैं। धोखेबाज व्यक्तियों अथवा स्वामित्व प्रतिष्ठानों के नाम पर बैंकों की विभिन्न शाखाओं में लेनदेन प्रभार आदि की राशि प्राप्त करने के लिए कई खाते खोलते हैं। धोखेबाज अपने शिकारों को इन खातों में कुछ निश्चित धनराशि जमा कराने के लिए उनके पीछे पड़ते हैं। धनराशि जमा होते ही तत्काल निकाल ली जाती है और इसका शिकार व्यक्ति उलझन में पड़ जाता हैं।

रिज़र्व बैंक ने इससे पहले भी कई बार इस प्रकार की धोखाधड़ी वाली योजनाओं /ऑफरों के संबंध में प्रेस और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जनता को आगाह किया है। जनता को शिक्षित करने के लिए इस प्रकार के कई और अभियानों की योजना बनायी जा रही है। रिज़र्व बैंक ने बैंकों से अनुरोध किया है कि वे इस परिपत्र में निहित संदेश अपने संबंधित सहभागियों और ग्राहकों की जानकारी में लायें और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

संबंधित प्रेस प्रकाशनी / अधिसूचना

28 मई 2010 लॉटरी,धनराशि सर्कुलेशन योजनाओं में सहभागिता,अन्य सस्ते धन आदि की फर्जी पेशकश के लिए किए गए विप्रेषण।

30 जुलाई 2009 फर्जी पेशकश / लॉटरी जीतने / सस्ते धन की पेशकश से सावधान रहें : भारतीय रिज़र्व बैंक।

07 दिसंबर 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशों से सस्ती निधि विप्रेषण के काल्पनिक प्रस्ताव के प्रति आम जनता को सतर्क किया।